Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

निगरानी/टी.ए./8083/2006/अलवर
मातादीन बनाम बंशी व अन्य

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 23–5–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बहरोड के आदेश दिनांक 14–11–06 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 जाब्ता दीवानी को खारिज किया गया है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इसलिये पेश किया था क्योंकि पूर्व में उक्त गवाहों की साक्ष्य नहीं हो पाई थी जिनकी साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था। यदि वादी जो अपना वाद लेकर आये हैं उनकी साक्ष्य नहीं ली गई तो वादी अपना वाद किस आधार पर साबित करेंगे। पूर्व में प्रार्थी संख्या 3 व4 अपनी साक्ष्य नहीं दे पाई थी क्योंकि वह वृद्ध है और अपने ससुराल में रहती है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधिसम्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर न्यायालय द्वारा दिये गये थे लेकिन वे उपस्थित नहीं हुये। इस इस स्तर पर साक्ष्य नहीं ली जा सकती है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा से सम्बन्धित है जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे। अधीनस्थ न्यायालय की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./8083/2006/अलवर</u>** **मातादीन बनाम बंशी व अन्य**	
	आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। पूर्व में सभी गवाहों की साक्ष्य नहीं हो पाई थी जिनकी साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था। यदि वादी जो अपना वाद लेकर आये हैं उनकी साक्ष्य नहीं ली गई तो वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल नहीं हो पायेगा। पूर्व में प्रार्थी संख्या 3 व4 अपनी साक्ष्य नहीं दे पाई थी क्योंकि वह वृद्ध है और अपने ससुराल में रहती है। फिर भी न्याय हित में एक अवसर दिया जाना उचित होगा। 8– अतः निगरानी सशर्त स्वीकार की जाकर निगराधीन आदेश निरस्त किया जाता है। रूपये 1000/– हर्जाने पर वादी संख्या 4व5 को स्वयं की व अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है इसलिये दिन प्रतिदन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकत तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। हर्जाने की राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करेंगे। अदा नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बहाल माना जावेगा। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14–6–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./8083/2006/अलवर</u>** **मातादीन बनाम बंशी व अन्य**	